to time to improve the campaign and these have been incorporated.

Use of Traditional Medicines

237. SHRI MD. SALIM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the share of traditional medicines in the market;

(b) whether Government are aware that traditional medicines are still being used in China by 40 per cent of the population in urban areas and 90 per cent if population in rural areas; and

(c) if so, what steps Government propose to take to popularise traditional medicines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) No authentic data is at present available.

(b) No Survey report or Research document is available on the usage of traditional medicines in the rural and urban areas of China.

(c) With the setting up of the Deptt. of ISM&H, various steps have been initiated to develop and promote ISM&H, such as upgrading standards of education, undertaking Research and Development activities, enhancing the availability of raw materials used in the manufacture of ISM&H drugs,, standarisation and quality control measures of ISM&H drugs etc.

बिहार में नई योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र

238. **श्री जनार्दन यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में नई योजना के अंतर्गत 1996-97 के दौरान कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हैं; और

(ख) क्या यह सत्य है कि इन उपकेन्द्रों पर डाक्टर उपलब्ध नहीं है यदि है तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1996 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 1996-97 के दौरान बिहार में कोई नया उप-केन्द्र स्थापित नहीं किया गया हैं।

अनुमोदित मानकों के अनुसार उप-केन्द्रों में डाक्टर की नियुक्ति को कोई प्रावधान नहीं हैं।

Derecognition of the courses of the Patel Chest Institute by the MCI

239. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Medical Council of India (MCI) has recommended derecognition of the courses of the Vallabbai Patel Chest Institute, Delhi;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that several complaints were made by the Doctors of the Institute to the MCI as well as the Ministry of Health regarding the functioning of the Institute; and

(d) if so, the details of the complaints made by them and the measures taken, if any, thereon so as to improve the functioning of the Institute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) The Medical Council of India has recommended to the Ministry of Health & Family Welfare do-recognition of post-graduate degree and diploma courses at V.P. Chest Institute, Delhi under Delhi University on the ground that a large number of faculty members are non-medical persons. The recommendations of the Medical Council of India are being considered.

(c) and (d) Several compaints were received in the Medical Council of India that the V.P. Chest Institute had appointed non-medical persons in the faculty and as Head of the Department. No complaint regarding functioning of the Institute has been received in the Ministry of Health & FW from the Doctors of the Institute. However, a letter was re-

ceivcd in the Ministry of Health & Family Welfare signed by three honourable M.P.s suggesting appointment of a medical person as Director of the Institute; also for ensuring proper use of the existing equipment/available beds and also for conducting an inquiry for better utilisation of the institute. A Committee constituted by the Ministry of Health & FW had given various suggestions for improving its clinical and laboratory facilities which have been brought to the notice of the Delhi University and the Department of Education.

कश्मीरी प्रवासियों की उनके गृह राज्य में वापसी

240. **प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के कितने नागरिकों ने अपने घरों को छोड़ा हुआ हैं और देश के अन्य भागों में शरण ली हुई हैं;

(ख) सरकार उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं; और

(ग) सरकार उनको उनके अपने घरों को वापस लोटाने के लिये क्या कदम उठा रही हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0आर0 बालासुब्रहमण्यन) :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों की संख्या का विवरण, विवरण-। के रूप में संलन्न हैं (नीचे देखिए)।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू मानदण्डों/नियमों के अनुसार और उनके संसाधनों के अनुसार, राहत उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राहत की दरों को दिखाने वाला एक विवरण-॥ के रूप में संलगन हैं। (नीचे देखिए)। कश्मीरी प्रवासियों को शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य सुविधायें भी दी जा रही हैं। शिविरों में रह रहे प्रवासियों को मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाऐं, बिजली जल आपूर्ति इत्यादि उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ग) अक्तूबर, 1996 में इस राज्स में विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद एक लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही राज्य, सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थान को वापस लौटने के बारे में एक कार्य-योजना तैयार करती रही हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि इस समस्या से राजनैतिक-आर्थिक आधार पर निपटना होगा। राज्य सरकार ने कार्य-योजना तैयार करने के लिए राजस्व, राहत एवं पुनर्वास मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति तथा वित्त आयुक्त (योजना "एव" विकास) के नेतृत्व में एक उपसमिति गठित की हैं।

विवरण

विभिन्न राज्य में रह रहे जम्मू और कश्मीर के परिवार

क्रम सं0	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या
01.	जम्मू	28,561
02.	दिल्ली	19,338
03.	हिमाचल प्रदेश	115
04.	हरियाणा	722
05.	चंडीगढ़	142
06.	पंजाब	420
07.	उत्तर प्रदेश	500
08.	मध्य प्रदेश	50
09.	कर्नाटक	60
10.	गोवा	90
11.	तमिलनाडु	21
12.	महाराष्ट्र	124
13.	राजस्थान	54
14.	आन्ध्र प्रदेश	51
		50248

विवरण –॥

विभिन्न राज्यों में राहत की मात्रा

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 450 रू0 की नगद राहत दे रही हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1800 रू0 प्रति माह परिवार हैं और जरूरतमंद